FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0250 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/09/2026 18:54 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 20/08/2026 **Date To (दिनांक तक):** 31/08/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 16:26 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/09/2026 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/09/2026 18:54:30 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 390 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KARAYALAY SAHAYAK ABHIYANTA /P V A,, VIDYUT VITARAN NIGAM LIMITAD,, DEBARI, UDAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SHANKARLAL LOHAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** GHEESALAL LOHAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1978 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KHAM KI MADARI, GHASA, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KHAM KI MADARI, GHASA, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SAGAR MEENA		पिता:PUKHRAJ MEENA	1. 10,SURYASTAT, SECOTAR NO.11,SAVINA,UDAIPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सम्पूर्ण घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 20.08.2026 को परिवादी श्री शंकरलाल लौहार निवासी खाम की मादडी, पुलिस थाना घासा, जिला उदयपुर ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर पर उपस्थित होकर श्री अनन्त कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर को एक शिकायत प्रस्तुत की। परिवादी श्री शंकरलाल लौहार द्वारा प्रस्तुत शिकायत के सम्बन्ध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी की शिकायत का अवलोकन किया गया तो शिकायत इस आशय की होना पाया गया कि ''मैं प्रार्थी शंकरलाल पिता श्री घीसालाल लौहार उम्र 48 वर्ष निवासी खाम की मादडी, पुलिस थाना घासा, जिला उदयपुर का रहने वाला हॅंू। मेरे गांव खाम की मादडी स्थित मेरे निर्माणाधीन मकान पर घरेलू विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता होने से मैंने दिनांक 18.06.2026 को घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु ईमित्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया था जिसका एप्लिकेशन आईडी नम्बर 1301430002168 है। इसके बाद से मैं लगातार अपने मित्र श्री करणसिंह निवासी खाम की मादडी के साथ श्री सागर मीणा, जेईएन, एवीवीएनएल देबारी, उदयपुर से उनके कार्यालय जाकर सम्पर्क करता रहा जिस पर वह अपने लाईनमैन के साथ मौका देखने के लिए मुझे कहते रहे। दिनांक 18.08.2026 को एवीवीएनएल ऑफिस देबारी से श्री सागर मीणा जेईएन और लाईनमैन प्रेमजी दोनो मेरे घर पर आये। मेरे द्वारा किये गये आवेदन के सम्बन्ध में श्री सागर मीणा जेईएन और लाईनमैन प्रेमजी दोनो ने मौका सर्वे कर मुझसे कहा कि आपके निर्माणाधीन मकान पर विद्युत कनेक्शन के लिए एक डीपी और एक पोल लगाने की भी जरूरत पडेगी। श्री सागर मीणा जेईएन साहब ने मुझे एक साईड ले जाकर कहा कि कनेक्शन के लिए जो भी सरकारी शुल्क (डिमाण्ड राशि) होगा उसके अलावा आपको 35,000 /-रूपये खर्चे-पानी के अलग से देने पडेंगे। यह बात मैंने अपने मित्र श्री करणसिंह निवासी खाम की मादडी को बतायी जो विद्युत कॉन्टेक्टर भी है जिस पर अगले दिन दिनांक 19.08.2026 को मैं और श्री करणसिंह दोनो एवीवीएनएल ऑफिस देबारी जाकर श्री सागर मीणा जेईएन साहब से मिले। श्री करणसिंह ने श्री सागर मीणा जेईएन साहब से कहा कि विद्युत कनेक्शन पर डीपी और पोल तो सरकार बिना कोई राशि वसूले अपनी ओर से लगाती है, तो आप तो शंकरलाल लौहार के निर्माणाधीन मकान पर केवल विद्युत कनेक्शन कर दो। शंकरलाल गरीब आदमी है। वह 35,000/-रूपयों की कहां से व्यवस्था करेगा। इस पर श्री सागर मीणा जेईएन साहब ने मेरे मित्र श्री करणसिंह के सामने ही रिश्वत के रूप में 15,000/-रूपयों की व्यवस्था के लिए कहा और यह भी कहा कि जब तक रूपये नहीं दोगे फाईल आगे नहीं बढेगी। मैं गरीब आदमी हूं, मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं। मैं श्री सागर मीणा, जेईएन साहब को रिश्वत के रूप में 15,000/-रूपये नहीं देना चाहता हूं। मेरी श्री सागर मीणा, जेईएन साहब, एवीवीएनएल ऑफिस देबारी, उदयपुर से कोई रंजिश नहीं है और ना ही कोई लेनदेन बकाया है। अतः आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने का श्रम करे।'' मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से प्रस्तुत शिकायत के सम्बन्ध में मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने उक्त शिकायत में अंकित तथ्यों की शब्द ब शब्द ताईद की तथा शिकायत पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। मामला रिश्वत मांग एवं लेनदेन का पाया जाने से परिवादी को ट्रैप कार्यवाही की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। परिवादी द्वारा मांग सत्यापन हेतु मौखिक सहमति व्यक्त करने पर श्री चंचल कुमार कानि. चालक, कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर को तलब कर परिवादी से आपस में परिचय करवाते हुए एक दूसरे के मोबाइल नम्बरों से भी अवगत करवाया गया। तत्पश्चात श्री चंचल कुमार कानि. चालक से कार्यालय की अलमारी से ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर एवं एक नया (खाली) मेमोरी कार्ड कम्पनी सेनडिस्क 16 जीबी बरंग काला मंगवाया गया। उक्त मेमोरी कार्ड को ब्यूरो के लैपटॉप की सहायता से खाली होना सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में श्री चंचल कुमार कानि. चालक से इन्सर्ट करवाया गया। परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि भलीभांति समझायी गयी। मांग सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी को दिनांक 21.08.2026 को प्रातः 09.00 बजे पावर हाउस चौराहा, देबारी पर श्री चंचल कुमार कानि चालक के इंतजार में रहने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 21.08.2026 को प्रातः श्री चंचल कुमार कानि चालक को मय ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु देबारी भेजा गया। श्री चंचल कुमार कानि चालक ब्यूरो कार्यालय उदयपुर से रवाना हो पावर हाउस चौराहा, देबारी पहुंच परिवादी से मिला। मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में समय 10.44 एएम पर परिवादी ने अपने मोबाइल को लाउडस्पीकर कर आरोपी श्री सागर मीणा के मोबाइल पर कॉल कर वार्ता की तो आरोपी श्री

सागर मीणा ने स्वयं को देबारी चौराहे की तरफ होना बताते हुए 5-10 मिनिट में ऑफिस आने का कहा। उक्त मोबाइल वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। मोबाइल वार्ता के उपरान्त परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करा उसके पास सुरक्षित रखवाकर कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, देबारी, उदयपुर रवाना किया गया। श्री चंचल कुमार कानि चालक कार्यालय के आसपास रह परिवादी के इंतजार में रहा। परिवादी कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, देबारी, उदयपुर में जाकर वहां पर मौजूद आरोपी श्री सागर मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता से मिला। आरोपी श्री सागर मीणा कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा परिवादी से उसके घर पर विद्युत कनेक्शन करने की एवज में खर्चेपानी के रूप में 35,000/-रूपये रिश्वत राशि की स्वीकारोक्ति की। उक्त वार्ता ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई। सत्यापन के उपरान्त परिवादी एवं श्री चंचल कुमार कानि चालक दोनो ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित आये व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सुना गया। मांग सत्यापन वार्ता परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के अनुक्रम में पूर्ण नहीं होने से दिनांक 24.08.2026 को पुनः रिश्वत मांग सत्यापन करवाये जाने हेतु परिवादी एवं श्री चंचल कुमार कानि चालक को पाबन्द कर परिवादी को रूखसत किया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 24.08.2026 को श्री चंचल कुमार कानि चालक को मय ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु देबारी भेजा गया। श्री चंचल कुमार कानि चालक ब्यूरो कार्यालय उदयपुर से रवाना हो पावर हाउस चौराहा, देबारी पहुंच परिवादी से मिला। मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में समय करीब 02.23 पीएम पर परिवादी ने अपने मोबाइल को लाउडस्पीकर कर आरोपी श्री सागर मीणा के मोबाइल पर कॉल कर वार्ता की तो आरोपी श्री सागर मीणा ने परिवादी को ऑफिस बुलाया। उक्त मोबाइल वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। मोबाइल वार्ता के उपरान्त परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करा उसके पास सुरक्षित रखवाकर कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, देबारी, उदयपुर रवाना किया गया। श्री चंचल कुमार कानि चालक कार्यालय के आसपास रह परिवादी के इंतजार में रहा। परिवादी कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, देबारी, उदयपुर में जाकर वहां पर मौजूद आरोपी श्री सागर मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता से मिला। जहां आरोपी श्री सागर मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता ने परिवादी के घर पर विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में किये गये आवेदन की हार्डकॉपी, खाते की नकल मांगी थी जो परिवादी ने उनको दी थी। जिसके बाद उनके द्वारा विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में आरोपी श्री सागर मीणा ने परिवादी से 15,000/-रूपये रिश्वत राशि मांगी जो परिवादी ने 5,000/-रूपये अपने विवेक से श्री सागर मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता को दे दिये और शेष रिश्वत राशि 10,000/-रूपये एक दो दिन में लाने को कहा है। सत्यापन के उपरान्त परिवादी एवं श्री चंचल कुमार कानि चालक दोनो ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित आये व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सुना गया। रिकॉर्ड वार्ता से आरोपी श्री सागर मीणा द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग की पुष्टि हुई। आरोपी श्री सागर मीणा को रिश्वत में दी जाने वाली की शीघ्र व्यवस्था हेतु परिवादी को पाबन्द कर रूखसत किया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को उसी अवस्था में कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 25.08.2026 को स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर के नाम तेहरीर जारी कर विशेष वाहक को निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर भिजवाया गया जो सम्बन्धित कार्यालय में तेहरीर दे गवाह के नाम, पद एवं मोबाइल नम्बर प्राप्त कर पुनः उपस्थित आया। दिनांक 31.08.2026 को प्रातः 09.50 बजे परिवादी आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर साथ ले उपस्थित आया। जिसे स्वतंत्र गवाहान के इंतजार में कार्यालय में बैठाया गया। जिसके बाद तलबिदा स्वतंत्र गवाहान श्री महादेव गुर्जर, कनिष्ठ सहायक एवं श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक, निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर से उपस्थित आये। जिनसे आपस में परिचय किया गया। श्री महादेव गुर्जर, कनिष्ठ सहायक एवं श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक को ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रैप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान उपस्थित रहने हेतु स्वीकृति चाही जाने पर दोनो ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। जिसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी का दोनो स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी की टाईपशुदा शिकायत दोनो गवाहान को पढकर सुनाई तो परिवादी ने शिकायत शब्द ब शब्द सही होना तथा शिकायत पर स्वयं के हस्ताक्षर होना जाहिर किया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मन पुलिस निरीक्षक ने भी हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात दिनांक 21.08.2026 एवं 24.08.2026 को परिवादी एवं आरोपी श्री सागर मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य हुई मोबाइल वार्तालाप एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कि डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में संरक्षित होने से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी की उपस्थिति में बारी-बारी से चलाकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवायी गयी। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को आरोपी श्री सागर मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 20 नोट कुल राशि 10,000/- रूपये (दस हजार रूपये) भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। परिवादी द्वारा पेश नोटों पर श्रीमती प्रियंका महिला कानि, कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर से

फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी की पहनी हुई पेंट की आगे की बायी जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह से लिवायी जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटों को श्रीमती प्रियंका महिला कानि से रखवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई। आरोपी श्री सागर मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि ग्रहण किये जाने की स्थिति में रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का ईशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक को मिस कॉल करने का ईशारा परिवादी को बताया गया। निर्धारित ईशारे से स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो टीम को भी अवगत करवाया । रिश्वत राशि के लेनदेन के वक्त होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रैप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाले चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाये गये। श्रीमती प्रियंका महिला कानि को ब्यूरो कार्यालय में ही छोडते हुए समय 03.30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री चंचल कुमार कानि. चालक के साथ परिवादी के निजी वाहन से देबारी पावर हाउस चौराहे के पास उपस्थित मिलने की हिदायत कर आगे रवाना कर पीछे पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक, विक्रम पण्डया हैड कानि, श्री गुलाबसिंह हैड कानि., श्री मांगीलाल कानि. मय ट्रैप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादि संसाधन के स्वयं के निजी वाहन से ब्यूरो कार्यालय उदयपुर से रवाना हो समय करीब 4.00 पीएम पर देबारी, पावर हाउस चौराहा, उदयपुर पहुंचे। जहां पर मन पुलिस निरीक्षक एवं हमराहीयान सभी अपने-अपने निजी वाहन को एक ओर साईड में खडा कर उपस्थितिन के समक्ष ही परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करा परिवादी के पास सुरक्षित रखवाते हुए समय 04.12 पीएम पर परिवादी को उसके वाहन स्कूटी से कार्यालय सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, देबारी के लिए रवाना किया। मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता भी अपने निजी वाहन से कार्यालय सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, देबारी के मुख्य द्वार से प्रवेश कर कार्यालय सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, देबारी के बाहर अपनी अपनी उपस्थिति छिपाकर परिवादी के रिश्वत राशि लेनदेन के निर्धारित ईशारे में खडे रहे कि समय करीब 04.26 पीएम पर परिवादी द्वारा कार्यालय परिसर के प्रवेश द्वार से अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता तेज कदमों से चलते हुए परिवादी के पास पहुंचे तो परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया। जिसे बन्द कर श्री चंचल कुमार कानि चालक के पास सुरक्षित रखवाया गया। जिस पर परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को उपस्थितिन के समक्ष अवगत कराया कि अभी अभी श्री सागर मीणा जेईएन साहब ने मेरे से 10,000/-रूपये रिश्वत राशि उनके कक्ष में ग्रहण की है वो अभी उनके कक्ष में ही है। जिस पर परिवादी को साथ ले श्री सागर मीणा, जेईएन के कक्ष में गये जहां पर परिवादी ने उपस्थितिन के समक्ष ही कक्ष में कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि ये ही सागर मीणा, जेईएन है, जिन्होंने अभी अभी मेरे गांव खाम की मादडी स्थित निर्माणाधीन मकान के घरेलू विद्युत कनेक्शन करने की एवज में अपनी मांग अनुसार 10,000/-रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर अपने दोनो हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई जींस पेंट की सामने की दाहिनी जेब में रखकर के उपरान्त अपनी टेबल की दराज में रख दिये। इसी दौरान श्री अनन्त कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाप्ता श्री गजेन्द्र कुमार एएसआई, श्री करणसिंह एएसआई, श्री पुष्करलाल हैड कानि एवं श्री भरत कुमार कानि. 398 उपस्थित आये। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आवश्यक निर्देश प्रदान किये। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना स्वयं तथा हमराहीयान का परिचय देकर अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा उससे अपना नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री सागर मीणा पुत्र श्री पुखराज मीणा उम्र 33 वर्ष निवासी मकान नम्बर 10, सूर्यास्टेट, सेक्टर नम्बर 11, पुलिस थाना सवीना, उदयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, खेमली, उदयपुर होना बताया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री सागर मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता से परिवादी से ग्रहण की गयी रिश्वती राशि 10,000/-रूपये किस बात के लिए ग्रहण किये, के बारे में पूछा गया तो श्री सागर मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि मैंने इनसे कोई रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की गई है। इन्होंने अपनी इच्छा से मुझे दिये है मैंने इनसे कोई मांग नहीं की है। जिस पर उपस्थिति परिवादी द्वारा स्वतः ही बताया कि जेईएन साहब झूठ बोल रहे है, इन्होंने मेरे गांव खाम की मादडी स्थित मेरे निर्माणाधीन मकान पर घरेलू विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता होने से मैंने दिनांक 18.06.2026 को घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु ईमित्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया था। इसके बाद से मैं लगातार अपने मित्र श्री करणसिंह निवासी खाम की मादडी के साथ श्री सागर मीणा, जेईएन, एवीवीएनएल देबारी, उदयपुर से उनके कार्यालय जाकर सम्पर्क करता रहा जिस पर वह अपने लाईनमैन के साथ मौका देखने के लिए मुझे कहते रहे। दिनांक 18.08.2026 को एवीवीएनएल ऑफिस देबारी से श्री सागर मीणा जेईएन और लाईनमैन प्रेमजी दोनो मेरे घर पर आये। मेरे द्वारा किये गये आवेदन के सम्बन्ध में श्री सागर मीणा जेईएन और लाईनमैन प्रेमजी दोनो ने मौका सर्वे कर मुझसे कहा कि आपके निर्माणाधीन मकान पर विद्युत कनेक्शन के लिए एक डीपी और एक पोल लगाने की भी जरूरत पडेगी। श्री सागर मीणा जेईएन साहब ने मुझे एक साईड ले जाकर कहा कि कनेक्शन के लिए जो भी सरकारी शुल्क (डिमाण्ड राशि) होगा उसके अलावा आपको 35,000/-रूपये खर्चे-पानी के अलग से देने पडेंगे।

यह बात मैंने अपने मित्र श्री करणसिंह निवासी खाम की मादडी को बतायी जो विद्युत विभाग में कॉन्टेक्टर भी है जिस पर अगले दिन दिनांक 19.08.2026 को मैं और श्री करणसिंह दोनो एवीवीएनएल ऑफिस देबारी जाकर श्री सागर मीणा जेईएन साहब से मिले। श्री करणसिंह ने श्री सागर मीणा जेईएन साहब से कहा कि विद्युत कनेक्शन पर डीपी और पोल तो सरकार बिना कोई राशि वसूले अपनी ओर से लगाती है, तो आप तो शंकरलाल लौहार के निर्माणाधीन मकान पर केवल विद्युत कनेक्शन कर दो। शंकरलाल गरीब आदमी है। वह 35,000/-रूपयों की कहां से व्यवस्था करेगा। इस पर श्री सागर मीणा जेईएन साहब ने मेरे मित्र श्री करणसिंह के सामने ही रिश्वत के रूप में 15,000/-रूपयों की व्यवस्था के लिए कहा और यह भी कहा कि जब तक रूपये नहीं दोगे फाईल आगे नहीं बढेगी। जिस पर दिनांक 24.08.2026 को मांग सत्यापन के दौरान इन्होंने मेरे से 5,000/-रूपये रिश्वत स्वरूप मांगकर ग्रहण किये एवं शेष 10,000/-रूपये रिश्वत राशि आज अभी अभी मेरे से ग्रहण की है। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री सागर मीणा को पूछा गया कि आपने ये राशि क्यों ग्रहण की है तो श्री सागर मीणा ने आईन्दा ऐसी गलती नहीं होगी मुझे माफ कर दो, यह कहने लगा। उपस्थितिन के समक्ष ही मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री सागर मीणा से परिवादी से दिनांक 24.08.2026 को ग्रहण की गई रिश्वत राशि 5,000/-रूपयों के बारे में पूछा गया तो सागर द्वारा अपने निजी खर्च में व्यय होना बताया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री सागर मीणा कनिष्ठ अभियंता, एवीवीएनएल खेमली पर पदस्थापन होने के बावजूद यहां कार्य करने के बारे में पूछा गया तो श्री सागर मीणा ने बताया कि एवीवीएनएल ऑफिस खेमली देबारी के अन्तर्गत आता है तथा एवीवीएनएल खेमली पर मूलभूत सुविधायें नहीं होने से अधिकांश कार्य एवं रिकॉर्ड यहीं से संधारित करता हू। चूंकि श्री सागर मीणा के दोनो हाथों, पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल टेबल की दराज का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी, स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री गुलाबसिंह हैड कानि. से निजी वाहन में रखा ट्रैप बॉक्स मंगवाया जाकर श्री भरत कुमार कानि. से एवीवीएनएल कार्यालय में रखे पानी के केम्पर से साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रैप बॉक्स में से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में भरवाया जाकर श्री गुलाबसिंह हैड कानि. से अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री सागर मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का मिश्रण गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर शीशियों को सिल-चिट करा, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क RH 1 व RH 2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शीशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री सागर मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बाये हाथ के धोवन हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर शीशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH 1 व LH 2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शीशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। कार्यवाही में प्रयुक्त किये गये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों को जलाकर नष्ट किया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थितिन के समक्ष ही श्री सागर मीणा, कनिष्ठ अभियंता के पास रखे टेबल की दराज की तलाशी लिवाई गयी तो टेबल की नीचे की दराज में पडे कागज जिसके उपर अजमेर विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड, ऑफिस ऑर्डर क्रमांक 320 दिनांक 08.07.2022 जिस पर एमएल शर्मा, एक्जिक्यूटिव इंजीनियर (रूरल -1) एवीवीएनएल, उदयपुर के हस्ताक्षर अंकित है उस पर रखे नोटों को स्वतंत्र गवाह श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा से निकलवाकर गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा के होना पाया जाने पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा बरामद नोटों पर अंकित नम्बरों का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का मिलान निम्नानुसार हुबहू हुआः-

1 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8TV184306
2 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9VG950861
3 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2PV424215
4 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0LL623233
5 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4EH541265
6 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8VU784754
7 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1SS181225
8 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6RT396018
9 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1KS979216
10 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3RT825088
11 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7UF647667

12 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7BK487734
13 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6GF842744
14 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4RT523583
15 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2GM473399
16 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5RT639083
17 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4ET985569
18 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4GT644273
19 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5NK914122
20 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3ET975954

उपरोक्त नोटो को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिये गये एवं रिश्वत राशि बरादमगी स्थल टेबल की दराज में रखे कागज जिसके उपर अजमेर विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड, ऑफिस ऑर्डर क्रमांक 320 दिनांक 08.07.2022 जिस पर एमएल शर्मा, एक्जिक्यूटिव इंजीनियर (रूरल -1) एवीवीएनएल, उदयपुर के हस्ताक्षर अंकित है की फोटो प्रति का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री गुलाबसिंह हैड कानि से ट्रैप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में श्री भरत कुमार कानि. कार्यालय के पीने युक्त पानी के केम्पर से साफ पानी भरवाया जाकर उक्त गिलास में श्री गुलाबसिंह हैड कानि. से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना पाया जाने पर श्री गुलाबसिंह हैड कानि. से एक कपडे की साफ चिन्दी को गीला कर बरामदगी स्थल दराज में रखे कागज पर घुमाया जाकर चिन्दी को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबाई जाकर निचोडी गयी तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर शीशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क D 1 व D 2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शीशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। उक्त कागज पर उपस्थितिन के हस्ताक्षर करा कागज मय संलग्न दस्तावेज को एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। कपडे की चिन्दी एवं पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण कर अपनी पहनी हुई जींस पेंट बरंग काला के आगे की दाहिनी जेब में रखने से उक्त पेंट की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक है। इस हेतु आरोपी की पहनी हुई जींस पेंट को ससम्मान उतरवायी जाकर लोवर को पहनाया गया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी, स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री गुलाबसिंह हैड कानि. से ट्रैप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में श्री भरत कुमार कानि. कार्यालय के पीने युक्त पानी के केम्पर से साफ पानी भरवाया जाकर उक्त गिलास में श्री गुलाबसिंह हैड कानि. से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री सागर मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता की उक्त पेंट की आगे की दाहिनी जेब को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थितिन को दिखाया गया तो गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर शीशियों को सिल-चिट करा, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क P 1 व P 2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शीशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। कार्यवाही में प्रयुक्त किये गये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। आरोपी की पेंट को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा मार्क P अंकित किया गया। उक्त कार्यवाही की विडियोरिकॉर्डिंग ब्यूरो के सरकारी मोबाइल में लगे मेमोरी कार्ड से श्री लक्ष्मणसिंह, कनिष्ठ सहायक से करवायी गई। उपस्थितिन के समक्ष ही मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री सागर मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता से परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली के बारे में पूछा गया तो श्री सागर मीणा द्वारा अपनी टेबल पर रखी फाईलों में से परिवादी की घरेलू विद्युत कनेक्शन की मूल पत्रावली पेश की। मौके पर उपस्थित श्री अमरेन्द्र त्रिपाठी, कनिष्ठ अभियन्ता, डबोक अतिरिक्त चार्ज सहायक अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, अ.वि.वि.नि.लि. देबारी, उदयपुर को मूल पत्रावली सुपुर्द कर पत्रावली के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि श्री शंकरलाल पुत्र श्री घीसा निवासी खाम की मादडी, उदयपुर ने घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु ऑनलाईन आवेदन दिनांक 18.06.2026 को सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, देबारी, उदयपुर के नाम किया गया। आवेदन के संलग्न श्री शंकरलाल के निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो कि प्रशासक, ग्राम पंचायत रख्यावल द्वारा प्रमाणित, श्री शंकरलाल द्वारा 01 किलोवॉट कनेक्शन सम्बन्धी स्वयं प्रमाणित फॉर्म 1, श्री शंकरलाल लौहार के आधार कार्ड, जन आधार, राशनकार्ड की प्रतियां संलग्न भिजवायी गई। इसके अतिरिक्त श्री शंकरलाल लौहार की ग्राम खाम की मादडी की जमाबन्दी नकल की प्रति दिनांक 31.08.2026 संलग्न है। आवेदक श्री शंकरलाल द्वारा घरेलू विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में किये गये आवेदन उपरान्त आवेदक द्वारा 100 रूपये जमा कराये जाने के पश्चात कार्यालय सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, देबारी, उदयपुर से सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता श्री सागर मीणा, कनिष्ठ

अभियन्ता को दिनांक 19.06.2026 को पोर्टल एनसीएमएस के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के भीतर साईट वेरिफिकेशन हेतु ऑनलाईन ट्रांसफर की गई। जिनके द्वारा ट्रैप कार्यवाही दिनांक तक साईट वेरिफिकेशन कर पत्रावली पुनः एईएन ऑफिस देबारी नहीं भिजवायी गयी। पत्रावली अथवा पोर्टल पर साईट वेरिफिकेशन रिपोर्ट (एस्टीमेट) उपलब्ध नहीं होना बताया। श्री शंकरलाल लौहार द्वारा किये गये घरेलू विद्युत कनेक्शन सम्बन्धी प्रक्रिया श्री सागर मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता के स्तर पर ही लम्बित होना बताया। परिवादी के विद्युत कनेक्शन सम्बन्धी मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की गई। श्री अमरेन्द्र त्रिपाठी, कनिष्ठ अभियन्ता से पूछने पर बताया कि कार्यालय सहायक अभियन्ता, अ.वि.वि.नि.लि. देबारी, उदयपुर के अन्तर्गत कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, खेमली, डबोक एवं गुडली होना बताया। कार्यालय कनिष्ठ अभियंता खेमली पर कम्प्यूटर इत्यादि की मूलभूत सुविधाओं के अभाव में सम्बन्धित जेईएन अपना अधिकांश राजकार्य कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस), अ.वि.वि.नि.लि. देबारी, उदयपुर में ही संपादित करना बताया। मौके की कार्यवाही के उपरान्त मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान, परिवादी, डिटेनशुदा आरोपी एवं सिलचिटशुदा आर्टिकल इत्यादि के देबारी से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पहुंचे। जहां कार्यवाही के क्रम में दिनांक 31.08.2026 को परिवादी श्री शंकरलाल एवं आरोपी श्री सागर मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता जो कि डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में संरक्षित होने से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी एवं आरोपी की उपस्थिति में बारी-बारी से चलाकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। तत्पश्चात आरोपी को स्पष्टीकरण एवं आवाज नमूना के सम्बन्ध में पत्र जारी किये तो आरोपी ने स्पष्टीकरण एवं आवाज का नमूना नहीं देना तथा बाद में कानूनी सलाह लेकर देना अंकित किया। परिवादी एवं आरोपी के मध्य रिश्वत मांग एवं लेनदेन के सम्बन्ध में हुई वार्तायें जो कि ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में संरक्षित होने से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर वार्ताओं के अंश को बारी बारी से चलाकर श्री अमरेन्द्र त्रिपाठी, कनिष्ठ अभियन्ता, डबोक अतिरिक्त चार्ज सहायक अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, अ.वि.वि. नि.लि. देबारी, उदयपुर को सुनाया गया तो श्री अमरेन्द्र त्रिपाठी ने उक्त रिकॉर्ड वार्ताआं में एक आवाज श्री सागर मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता की होना पहचान की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रैप कार्यवाही के दौरान वजह सबूत आर्टिकल की जब्ती की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग श्री लक्ष्मणसिंह, कनिष्ठ सहायक से सरकारी मोबाईल सेमसंग में लगे मेमोरी कार्ड से करवाई गई है। परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में उक्त सरकारी मोबाईल सेमसंग में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड को सरकारी मोबाईल से निकलवाकर मेमोरी कार्ड को कार्ड रीडर के माध्यम से सरकारी लैपटॉप से श्री लक्ष्मणसिंह, कनिष्ठ सहायक द्वारा कनेक्ट करवा मेमोरी कार्ड में मौजूद वीडियो रिकॉर्डिंग को 03 नये पेनड्राईव में पृथक-पृथक कॉपी करवाया जाकर 01 पेनड्राईव में संरक्षित रिकॉर्डिंग की हैशवेल्यू निकाली गयी। 01 पैनड्राईव को पेनड्राईव कवर में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली को श्री गुलाब सिंह हैड कानि. से सीलचिट करवाकर मार्क VP अंकित किया गया। तत्पश्चात सरकारी मोबाईल सेमसंग में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड में संरक्षित वीडियो रिकार्डिंग की हैशवेल्यू निकाली गयी। ब्यूरो के सरकारी मोबाईल सेमसंग में प्रयुक्त मूल मैमोरी कार्ड को मैमोरी कार्ड कवर में रख एक सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर मार्क VM अंकित किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रैप कार्यवाही के दौरान परिवादी एवं आरोपी श्री सागर मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन, मोबाइल वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन के सम्बन्ध में हुई वार्तायें, जिनको ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड में संरक्षित किया गया है। परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में डिजिटल वॉईस रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री लक्ष्मण सिंह, कनिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय के लैपटॉप से कनेक्ट कर मेमोरी कॉर्ड में रिकॉर्ड वार्ताओं की 03 नये पेनड्राईव में पृथक-पृथक कॉपी करवायी जाकर 01 पेनडाईव में संरक्षित वार्ता की लैपटॉप में इनस्टॉल सॉफ्टवेयर से हैशवेल्यू निकाली गयी। 01 पैनड्राईव को पेनड्राईव कवर में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली को श्री गुलाब सिंह हैड कानि. से सीलचिट करवाकर मार्क MP अंकित किया गया। तत्पश्चात ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड में संरक्षित वार्ताओं की हैशवेल्यू निकाली गयी। ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड को मैमोरी कार्ड कवर में रख एक सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर मार्क M अंकित कर किया गया। सम्पूर्ण ट्रैप कार्यवाही से आरोपी श्री सागर मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता के विरूद्ध धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। ट्रैप कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री शंकरलाल लौहार द्वारा प्रस्तुत शिकायत, ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओं एवं उनकी मुर्तिबा ट्रांसक्रिप्ट एवं अन्य समस्त फर्दात से पाया गया है कि आरोपी श्री सागर मीणा पुत्र श्री पुखराज मीणा उम्र 33 वर्ष निवासी 04 सी 2, माही सरोवर, डायलाब मार्ग, बांसवाडा हाल निवासी मकान नम्बर 10, सूर्यास्टेट, सेक्टर नम्बर 11, पुलिस थाना सवीना, उदयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता (पवस), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, खेमली, उदयपुर के द्वारा अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री शंकरलाल लौहार से अवैध परितोषण प्राप्त करने हेतु परिवादी के गांव खाम की मादडी स्थित निर्माणाधीन मकान पर घरेलू विद्युत कनेक्शन करने की एवज में मांग सत्यापन दिनांक 24.08.2026 को आरोपी श्री सागर मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा परिवादी से 15,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग करते हुए मांग सत्यापन के दौरान 5,000/-रूपये रिश्वत स्वरूप ग्रहण करना तथा आरोपी श्री सागर मीणा द्वारा परिवादी से शेष रिश्वत राशि 10,000/-रूपये दिनांक 31.08.2026 को मांगकर

ग्रहण करना जो धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री सागर मीणा पुत्र श्री पुखराज मीणा उम्र 33 वर्ष निवासी 04 सी 2, माही सरोवर, डायलाब मार्ग, बांसवाडा हाल निवासी मकान नम्बर 10, सूर्यास्टेट, सेक्टर नम्बर 11, पुलिस थाना सवीना, उदयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता (पवस), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, खेमली, उदयपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित हैं। भवदीय,(रामसुमेर मीणा),पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,उदयपुर............. कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामसुमेर मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सागर मीणा पुत्र श्री पुखराज मीणा उम्र 33 वर्ष निवासी 04 सी 2, माही सरोवर, डायलाब मार्ग, बांसवाडा हाल निवासी मकान नम्बर 10, सूर्यास्टेट, सेक्टर नम्बर 11, पुलिस थाना सवीना, उदयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता (पवस), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, खेमली, उदयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी डाॅ. सोनू शेखावत, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टें उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 56 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1443-47 दिनांक 04.09.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2- सचिव(प्रशासन), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर। 3- संभागीय मुख्य अभियन्ता(उ.जो.), अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. उदयपुर। 4-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 5-अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SONU SHEKHAWAT **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/09/2026 18:57:44

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)